

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (7) 2018 / कार्मिक-भर्ती / प्रशि. / पार्ट-III / प्रमुवसं /

दिनांक

कार्यालय आदेश

श्री विक्रम हूण, वनपाल, कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 14.09.2018 के क्रम में इस कार्यालय के जारी आदेश क्रमांक 4497 दिनांक 21.08.2018 द्वारा उप वन संरक्षक मरू वन प्रशिक्षण स्कूल, जोधपुर में दिनांक 04.09.2018 से प्रारम्भ किये जा रहे छः माह का आधारभूत प्रशिक्षण कोर्स में प्रशिक्षण दिलवाये जाने के संबंध में नामांकित किये जाने के आदेश एतद् द्वारा प्रचलित किये जाते हैं।

उप वन संरक्षक, कोटा उक्त वनपाल को उप वन संरक्षक मरू वन प्रशिक्षण स्कूल, जोधपुर में उपस्थिति देने हेतु भारमुक्त किया जाकर इस कार्यालय को अवगत करावें।

दीपक

(दीपक भटनागर)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)

राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15(7) 2018 / कार्मिक-भर्ती / प्रशि. / पार्ट-III / प्रमुवसं / 5290-97 दिनांक 18-9-2018
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर ।
2. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
3. उप वन संरक्षक मरू वन प्रशिक्षण स्कूल, जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित है।
4. उप वन संरक्षक, कोटा को उक्त प्रार्थी के आवेदन के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि उक्त कर्मचारी को उप वन संरक्षक मरू वन प्रशिक्षण स्कूल, जोधपुर में आधारभूत प्रशिक्षण हेतु तत्काल भारमुक्त कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।
5. प्रभारी कम्प्युटर शाखा (वेबसाईट पर अपलोड) करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

नरेश चन्द्र शर्मा
(नरेश चन्द्र शर्मा)

उप वन संरक्षक (अराजपत्रित-प्रस्थापना)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राजस्थान जयपुर